भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 1311
सोमवार, 25 जुलाई, 2022/03 श्रावण, 1944 (शक)

श्रम भागीदारी दर

1311. श्रीमती संगीता आजादः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारतीय अर्थव्यवस्था निगरानी केन्द्र के अनुसार जनवरी-अप्रैल 2022 की अवधि के दौरान ग्रामीण भारत में श्रम भागीदारी दर (एलपीआर) 40.9 प्रतिशत है जबकि शहरी भारत की श्रम भागीदारी दर 37.4 प्रतिशत है और शहरी पुरुषों का एलपीआर का प्रतिशत बहुत अधिक 64.2 प्रतिशत है जबकि शहरी महिलाओं का एलपीआर 6.7 प्रतिशत है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) महिलाओं हेतु वैश्विक एलपीआर औसत प्रतिशत 47.7 की तुलना में भारत की महिलाओं का एलपीआर मात्र 25 प्रतिशत होने के क्या कारण हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (ग): वर्ष 2017-18 से सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा आयोजित आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के माध्यम से रोजगार और बेरोजगारी पर आंकड़े एकत्र किए जाते हैं। सर्वेक्षण की अवधि जुलाई से अगले वर्ष जून तक है। वर्ष 2020-21 की नवीनतम उपलब्ध वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्टों के अनुसार, वर्ष 2020-21 के दौरान सामान्य स्थिति के आधार पर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की अनुमानित श्रम बल भागीदारी दर ग्रामीण क्षेत्र में 57.4% तथा शहरी क्षेत्र में 49.1% थी।

वर्ष 2020-21 के दौरान 15 वर्ष और उससे अधिक आयु की सामान्य स्थिति आधार पर अनुमानित महिला एलएफपीआर 32.5% थी।

कुछ अध्ययन दर्शाते है कि अधिकांश महिलाएं काम करती हैं और अर्थव्यवस्था में किसी न किसी रूप में योगदान करती हैं, उनके अधिकांश कार्य का दस्तावेजीकरण या आधिकारिक आंकड़ों में इसे दर्ज नहीं किया जाता है और इस प्रकार महिलाओं के काम को कम रिपोर्ट किया जाता है।

सरकार ने श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी एवं उनके रोजगार की गुणवत्ता में सुधार के लिए अनेक कदम उठाए हैं। महिला कामगारों के लिए समान अवसर तथा कार्य का अनुकूल माहौल तैयार करने हेतु श्रम कानूनों में अनेक सुरक्षात्मक प्रावधान शामिल किए गए हैं। सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में सवेतन प्रसूति अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह करने, 50 या इससे अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों में अनिवार्य क्रेच सुविधा, पर्याप्त सुरक्षा उपायों के साथ रात्रि की पालियों में महिला कामगारों को अनुमति प्रदान करने आदि जैसे प्रावधान शामिल हैं।

व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य माहौल (ओएसएच) संहिता, 2020 में खुली खुदाई वाले कार्य सहित भूमि से ऊपर की खदानों में महिलाओं को शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे के बीच और भूमिगत खदानों में तकनीकी, पर्यवेक्षी और प्रबंधकीय कार्यों, जहां निरंतर उपस्थिति की आवश्यकता नहीं हो, में सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे के बीच काम करने की अनुमति प्रदान करने के प्रावधान हैं।

मजदूरी संहिता, 2019 में प्रावधान हैं कि समान नियोक्ता द्वारा मजदूरी से संबंधित मामलों में लिंग के आधार पर कर्मचारियों के बीच किसी प्रतिष्ठान या किसी भी इकाई में किसी कर्मचारी द्वारा किए गए समान कार्य या समरूप प्रकृति के कार्य के संबंध में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, रोजगार की स्थिति में, समान कार्य या समान प्रकृति के कार्यों के लिए किसी भी कर्मचारी की भर्ती करते समय लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, बशर्ते कि वहां इस तरह के कार्यों में महिलाओं का रोजगार, उस समय लागू किसी भी कानून के तहत प्रतिबंधित अथवा निषिद्ध न हो।

महिला कामगारों की नियोजनीयता को बढ़ाने के लिए सरकार, महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों और क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों के नेटवर्क के माध्यम से उन्हें प्रशिक्षण प्रदान कर रही है।

*****